



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218 ]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2012—वैशाख 11, शक 1934

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. बी-4-02-2012-2-पांच (16).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को सयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. बी-4-02-2012-2-पांच (16) दिनांक 30 मार्च, 2012 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "अनुच्छेद 5 के खण्ड (क)" के स्थान पर, शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर "अनुच्छेद 5 के खण्ड (घ)" स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. दो. जैन, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 मई 2012

क्र. बी-4-02-2012-2-पांच-(16).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग का संशोधित आदेश क्रमांक एफ. बी-4-02-2012-2-पांच-(16), दिनांक 1 मई 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एन. के. जैन, उपसचिव.